

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प. 1(150)एम.ई. / ग्रुप-1 / 2013

जयपुर, दिनांक:

25 JAN 2018

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, रेडियोग्राफिस्ट के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-3, 15600-39100 (ग्रेड पे. रुपये 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रुपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 03.07.2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० सुनीता कुमारी पत्नी श्री सत्येन्द्र सिंह, पता- ग्राम- पूनिया का वास, पोस्ट देवगना (DEVGOAN), वाया-डूमरा जिला-झुंझुनू (राज.) 333707	एम-03	22.07.1984	पिछड़ा वर्ग महिला	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	डॉ० महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम ढाका, C/o श्री सत्यप्रकाश सहारण, 148, ऑफिसर्स केम्पस विस्तार, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर (राज.)-302012	एम-05	19.05.1986	पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3.	डॉ० प्रज्ञा सुरोलिया पत्नी श्री पवन कुमार शर्मा, पता-71 प्रेमनगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर (राज.) 302019	एम-16	26.06.1983	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4.	डॉ० सुमित्रा गौड पत्नी डॉ० मितेश गौड, पता- 60 चम्पा बाग हजारी बाग के सामने, सुभाष नगर के पास, उदयपुर (राज.)।	एम-20	14.05.1977	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
5.	डॉ० दिनेश कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द्र, पता- ए-78, रीको रेजीडेन्शियल कॉलोनी, झुंझुनू (राज.)।	एम-25	07.05.1979	पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कॉलेज बीकानेर
6.	डॉ० नरेश कुमार मंगलहारा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, 11-ए हरबंश नगर जालन्धर (पंजाब) - 144002	एम-27	23.12.1983	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, जयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम / 2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(42)भर्ती/गोपनीय/2014-15/594 दिनांक 28.03.2017 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी को **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव